

कार्यालय, जिला परिषद, मधेपुरा।

-:सूचना:-

संगीत एवं ललितकला के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए ओपबन्धिक मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे मूल प्रमाण पत्र के मिलान से मिलान/ जांच हेतु दिनांक 16.08.2016 निर्धारित की गयी है। जिसमें अभ्यर्थी संलग्न प्रपत्र में अपने प्रमाण पत्रों का विवरण तीन प्रति में तैयार कर छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति पासपोर्ट साइज फोटो के साथ(फोल्डर सहित) जमा करना होगा।

अतः सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निदेश के आलोक में दिनांक 16.08.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक जिला परिषद कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जिला परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक 456...../जि0प0। दिनांक 15/8/16.....

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि को अपने देखरेख में उपरोक्त कार्य को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जिला परिषद, मधेपुरा।

15/8/16

12-8-16

चेक स्लीप ( तीन प्रतियों में )

जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2016

नियोजन ईकाई का नाम-				विषय-		
अभ्यर्थी का नाम-				पिता का नाम-		
जन्म तिथि-				कोटि-		
स्थायी पता-	ग्राम-			पोस्ट-		
	जिला-			मोबाईल संख्या-		
पत्राचार पता-	ग्राम-			पोस्ट-		
	जिला-			मोबाईल संख्या-		
<b>शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता-</b>						
योग्यता	बोर्ड / विश्वविद्यालय	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	सत्र / वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
मैट्रिक						
अंतर स्नातक / समकक्ष.....						
स्नातक / समकक्ष .....						
बी0 एड0						
STET	विषय ग्रुप- 1.		अंक			
STET	रोल नः-					
स्नातक प्रतिष्ठा-						
सहायक विषय-	1.			2.		
कुल प्रतिशत-		एस टी इ टी अधिभार		प्रतिष्ठा अधिभार		
कुल मेधा अंक			मेधा क्रमांक			

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त विवरण सही एवं सत्य है साथ ही मैं किसी अन्य समकक्ष नियोजन ईकाई में नियोजित नहीं हूँ, गलत पाये जाने पर मेरा दावा समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिए आपके द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

अनुलगनक :- शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की एक प्रति में छाया प्रति संलग्न है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :-  
दिनांक.....